हरियाणा राज्य अपने सचिव द्वारा, हरियाणा
राज्य चयन आयोग बनाम सुभाष चंद्र और
अन्य (जी. एस. संधवालिया, जे.)

सम्मुख जी. एस. संधवालिया और विकास सूरी, जे. जे.

हरियाणा राज्य अपने सचिव द्वारा
हरियाणा राज्य चयन आयोग - अपीलकर्ता
बनाम
सुभाष चंद्र और अन्य - प्रतिवादी
एल. पी. ए. सं. 2207 वर्ष 2017

11 मई, 2022

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14, 226 और 227- लेटर्स पेटेंट अपील - हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 - बिजली आपूर्ति अधिनियम, 2003 - शिफ्ट अटेंडेंट के पद पर नियुक्ति, यू. एच. बी. वी. एन. एल./एच. वी. पी. एन. एल./बी. एच. बी. वी. एन. एल. - चयन का मापदंड - लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में अनुभव के अंकों का जोड़ - एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते आयोग को विज्ञापन में दिए गए मापदंडों को तय करने का अधिकार है - याचिकाकर्ताओं ने एक मौका लिया है और दस्तावेजों की जांच के लिए बुलावे को स्वीकार किया है, यह आरोप नहीं लगा सकते हैं कि बुलाए गए अन्य उम्मीदवारों के पास कम अनुभव था - वे विज्ञापन की शर्तों से बंधे हैं - इसके अलावा, रिट याचिका का निर्णय 25 दिनों की अवधि के भीतर आयोग से प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया था - यह एक नीतिगत मामला है, रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है -एलपीए स्वीकार की गई।

यह माना गया कि विज्ञापन के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि आयु का पात्रता मानदंड भी 18 वर्ष से 42 वर्ष तक था और इसलिए, अनुभव वाले व्यक्तियों को भी विचार के क्षेत्र में लाया गया था और अनुभव का लाभ दिया जाना था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि यह योग्यता की कीमत पर होगा। इस प्रकार विशेषज्ञ निकाय के दृष्टिकोण को कभी भी ध्यान में नहीं रखा गया, जो इस न्यायालय की राय में तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित नहीं था।

(पैरा 24)

आगे कहा कि हमारा विचार है कि जिस तरह से नीतिगत मामला होने के कारण उस पर निर्णय लिया गया, वह विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में टिकाऊ नहीं है। परिणामस्वरूप, ऊपर दिए गए कारणों से हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करने और रिट याचिकाओं को खारिज करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि चयन प्रक्रिया काफी पहले से ही पूरी हो चुकी है। तदनुसार, आयोग द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार किया जाता है और दिनांक 14.09.2017 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

सभी लंबित नागरिक विविध आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(पैरा 25)

श्रुति जैन गोयल, डी.ए.जी., हरियाणा।

अनु चतरथ वरिष्ठ अधिवक्ता मय एम. एम. पांडे, अधिवक्ता सभी प्रतिवादी के लिए एल. पी. ए. 393,449 और 469-2018 में

प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के लिए एल. पी. ए. 368-2018 में

प्रतिवादी संख्या 5 और 9 के लिए एल. पी. ए. 378-2018 में

प्रतिवादी संख्या 1 और 3 के लिए एल. पी. ए. 378-2018 में।

विवेक शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए एल. पी. ए.-2207-2017 में।

सुनील कुमार नेहरा 'सिरसा', अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए एल. पी. ए.- 448-2018 में, प्रतिवादी संख्या 1,2,6,7 और 10 के लिए ए, एल. पी. ए.-378-2018 में प्रतिवादी।

सुनील कुमार नेहरा 'सिरसा' अधिवक्ता, नीरज श्योराण अधिवक्ता की ओर से एल. पी. ए.-500-2018 में सी. एम.-1021-एल. पी. ए.-2019 में आवेदक की तरफ से।

चंद्रहास यादव, अधिवक्ता, एल. पी. ए.-631-2018 में प्रतिवादी की तरफ से।

जतिंदर कुमार, अधिवक्ता, एल. पी. ए.-1386-2019 में प्रतिवादीयो की तरफ से।

जी. एस. संधवालिया, जे.

(1) वर्तमान निर्णय उपरोक्त 13 अपील अर्थात एल. पी. ए.-2207-2017, एल. पी. ए.-368, 378, 393, 448, 449, 469, 496, 500, 563, 630 & 631 वर्ष 2018 और एल. पी. ए.-1386-2019 का निपटारा करेगा। तथ्य एल. पी. ए.-2207-2017 से लिए जा रहे हैं।

(2) वर्तमान पत्र पेटेंट अपील में चुनौती विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 14.09.2017 के आदेश के लिए है जो एक मामलों के समूह में पारित किया गया है जिन मामलों का प्रमुख मामला सी. डब्ल्यू. पी. संख्या.18921-2017 था जिसका शीर्षक **सुभाष चंदर और अन्य** बनाम **हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग** था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी-आयोग को उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में अनुभव के अंकों को जोड़ने का निर्देश दिया और यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों ने उन लोगों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं जिनका लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पहले ही साक्षात्कार हो चुका है तो उन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए। नतीजतन,

यह निर्देश दिया गया कि प्रत्यर्थी-आयोग द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए, विभिन्न प्रमाणपत्रों जैसे शैक्षणिक योग्यताएँ, अनुभव आदि के आधार पर निश्चित अंकों के आवंटन सहित आयोग द्वारा अपनाए गए मापदंड, दस्तावेजों की जांच के लिए ऐसे अंक निर्धारित किए जाएं और उन्हें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाए । इसके बाद, उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के उद्देश्य से एक योग्यता सूची तैयार की जाए।

(3) राज्य के वकील ने तदनुसार तर्क दिया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस तरह से मापदंडों को बदलना उचित नहीं है, जोकि विज्ञापन में प्रदान किया गया था कि आयोग का निर्णय, चयन का तरीका और मापदंड आदि उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होंगे और वे चयन के लिए इस तरह की किसी अलग मापदंड की माँग नहीं कर सकते थे । यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि उम्मीदवारों का चुनाव करने के उद्देश्य के लिए महत्वता को लिया जाएगा, तो योग्यता को नुकसान होगा और लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को कोई अवसर नहीं मिलेगा । यह प्रस्तुत किया गया था कि विज्ञापन में ही यह प्रावधान किया गया था कि आयोग को मापदंडों पर निर्णय लेना था और इसलिए, लिखित परीक्षा आयोजित करके लघुसूचीयन सही तरीके से की जा रही थी । इसके बाद, साक्षात्कार के अंक दिए जाएंगे और अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के समय अनुभव का लाभ दिया जाएगा । यह आगे तर्क दिया गया कि राज्य को अपना पक्ष दर्ज करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और लिखित बयान को भी दर्ज किये बिना रिट याचिका पर कम समय में निर्णय लिया गया था । इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश को दोनों संभव विचारों को संतुलित करने का लाभ नहीं मिला । यह एक नीतिगत निर्णय है और इसे विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ दिया जाना चाहिए था और दुर्भावना या द्वेष के किसी भी आरोप के अभाव में, यह न्यायालयों के लिए अपने विचारों को प्रतिस्थापित करने का काम नहीं था।

(4) प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि अनुभवी उम्मीदवारों को विचार के क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा था और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश अच्छी तरह से उचित है।यह प्रस्तुत किया गया था कि लिखित अंकों में पहली बार में हीअनुभव के अंक जोड़े जाने चाहिए और तब जिन उम्मीदवारों को बुलाया जाना था, उन्हें दोगुना किया जाए और इस प्रकार, यह एक अधिक तर्कसंगत तरीका था ।

(5) रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका यानी सी. डब्ल्यू. पी. संख्या18291-2017, जिसके तथ्यों पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी विचार किया गया था, का अवलोकन करने से पता चलता है कि रिट याचिकाकर्ता ने 12.08.2017 208 के नोटिस को रद्द करने की मांग की थी।

(6) (अनुलग्नक पी-5), जिसके माध्यम से शिफ्ट अटेंडेंट, यू. एच. बी. वी. एन. एल./एच. वी. पी. एन. एल./डी. एच. बी. वी. एन. एल. के पद के लिए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा था। उक्त नोटिस के अवलोकन से पता चलता है कि 29.05.2016 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर और विज्ञापन संख्या 3/2016 श्रेणी क्रमांक 1 के तहत उक्त पदों के लिए 05.05.2017 से 06.07.2017 के बीच हुई दस्तावेजों की जांच के आधार पर, विज्ञापित 2426 पदों के मुकाबले उम्मीदवारों की दोगुनी संख्या को उनकी पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन, प्रावधिक रूप से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों और सामान्य पदों के विभाजन के खिलाफ प्राप्त कट-ऑफ अंकों का भी उल्लेख किया गया था। उदाहरण के लिए, सामान्य पदों के लिए कट-ऑफ 74 थी और इसी तरह बी. सी. ए. और बी. सी. बी. के लिए भी कट-ऑफ 74 थी, एससी 70 के लिए और ई. बी. पी. जी. सी. के लिए यह 50 थी। साक्षात्कार अनुसूची के अनुसार 24.08.2017 से 29.08.2017 के बीच आयोजित किया जाना था और उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेज लाने का निर्देश दिया गया था और केवल एक अवसर दिया जाना था।

(7) विचाराधीन विज्ञापन (अनुलग्नक पी-1) 20.02.2016 को जारी किया गया था और कट-ऑफ तिथि 04.04.2016 थी, जिसमें अन्य पदों के साथ शिफ्ट अटेंडेंट के 2426 पदों का विज्ञापन किया गया था।आवश्यक योग्यताएँ और अनुभव का महत्व निम्नानुसार हैः-

"i) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ वी. ई. आई. (व्यावसायिक शैक्षिक संस्थान) से इलेक्ट्रीशियन/इलेक्ट्रॉनिक्स/वायरमैन ट्रेड या लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन (इलेक्ट्रिकल और अधिवास उपकरणों का रखरखाव और मरम्मत) में 2 साल के आई. टी. आई. पाठ्यक्रम के साथ मैट्रिक और हरियाणा अधिवास के एस. सी. श्रेणी के उम्मीदवारों के 55 प्रतिशत अंक। अन्य श्रेणियों के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के समान होंगे।

(ii) मैट्रिक स्तर या उच्च शिक्षा तक हिंदी/संस्कृत का ज्ञान।

iii) किसी भी विद्युत उपयोगिता द्वारा नियुक्त संविदात्मक श्रमिकों को अनुभव का महत्व निम्नानुसार दिया जाएगाः-

<u>अनुभव का महत्व</u>

संबंधित श्रेणी में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक प्रतिशत अंक, अधिकतम आठ प्रतिशत दिया जाएगा, इस शर्त के साथ कि योग्य सेवा

समान क्षमता में किसी भी विद्युत उपयोगिता में होना चाहिए।

18-42 वर्ष रु 5200-20200 + रु 2400 जीपी"

(7) विज्ञापन में विशेष निर्देश निर्धारित किए गए थे जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि आयोग लिखित परीक्षा आयोजित करके उम्मीदवारों की अल्पसूचि तैयार करेगा । इसमें आगे प्रावधान किया गया कि किसी आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन के तरीके और मापदंड आदि से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा । इसे नीचे पढ़ा गया है:-

विशेष निर्देशः

निर्धारित आवश्यक योग्यता किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं बनाती है। आयोग लिखित परीक्षा आयोजित करके साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा । किसी आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, उम्मीदवारों की पात्रता/उपयुक्तता, चयन का तरीका और मानदंड आदि से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।"

(8) विज्ञापन के उक्त विशेष निर्देशों के अनुसरण में, आयोग द्वारा दिनांक 01.05.2016 को पर एक नोटिस (अनुलग्नक पी-3) जारी किया गया था, जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि 29.05.2016 को 10:30 बजे से 11:45 पूर्वाह्न तक लिखित परीक्षा आयोजित की जानी थी । चयन के लिए कुल 200 अंक निर्धारित किए गए थे जिसमें से 160 अंक लिखित परीक्षा के लिए थे, जिसमें 80 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल थे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था । अनुभव के लिए 16 अंक दिए जाने थे और मौखिक/साक्षात्कार के लिए 24 अंक दिए जाने थे । उक्त सूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"2. चयन मानदंड

कुल अंक: 200.

1. **लिखित परीक्षा** 160 अंक

2. उपरोक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा में 75 मिनट की अवधि में 80 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे और आगे दो भागों में विभाजित होंगे जिनमें शामिल हैं:-

i. 75 प्रतिशत सामान्य जागरूकता, तर्क, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित या प्रासंगिक

विषय के लिए, जिसे इस प्रकार विभाजित किया जाएगाः

क) 75 प्रतिशत में से लगभग 50 प्रतिशत प्रश्न संबंधित या प्रासंगिक विषय को आवंटित किए जाएंगे, और;

ख) शेष प्रश्न सामान्य जागरूकता, तर्क, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी के लिए आवंटित किए जाएंगे।

ii. 25 प्रतिशत हरियाणा के इतिहास, समसामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, संस्कृति आदि के लिए।

प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होगा।

II. **अनुभव** 16 अंक

(एक प्रतिशत अंक अर्थात संबंधित श्रेणी में एक वर्ष की प्रत्येक पूर्ण सेवा के लिए 2 अंक, जो अधिकतम 8 प्रतिशत के अधीन है, अर्थात 16 अंक जो शर्त के साथ कि योग्यता सेवा किसी भी बिजली उपयोगिता में समान क्षमता में होनी चाहिए)

III. **वाइवा-वॉस/साक्षात्कार** 24 अंक

विषय ज्ञान, संचार कौशल, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता और बुद्धिमत्ता का आकलन करना।

लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट यानी www.hssc.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार उपरोक्त अनुसूची में उल्लिखित तिथि से आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का कोई अन्य मौका नहीं दिया जाएगा।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें।

आयोग द्वारा डाक द्वारा से उम्मीदवारों को कोई अलग कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।"

(9) यह विवादित नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में बैठे थे और उसके बाद, 05.05.2017 से 06.07.2017 के बीच दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाए गए थे। आयोग द्वारा दिनांक 30.04.2017 को जारी नोटिस (अनुलग्नक पी-4) के अनुसरण में विज्ञापित पदों के मुकाबले दो गुना उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए यह एक प्रावधिक अभ्यास था, जो दस्तावेजों की जांच करके संबंधित विज्ञापन और सेवा नियमों के अनुसार उनकी पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन था। इसके बाद, दिनांक 12.08.2017 का विवादित नोटिस (अनुलग्नक पी-5) जारी किया गया, जिसमें

रिक्तियों के मुकाबले उम्मीदवारों की दो गुना संख्या को दस्तावेजों की जांच के आधार पर और योग्यता सूची तैयार करने के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। यह वह समय था जब इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी और पहले मामले में प्रस्ताव नोटिस 23.08.2017 को जारी किया गया और मामले को फिर से **सीडब्ल्यूपी संख्या 18307-2017 सतीश कुमार और अन्य** बनाम **हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग** के साथ 25.08.2017 को सुनवाई के लिए रखा गया था। उक्त तिथि पर, आयोग के वकील ने प्रस्तुत किया था कि पंचकूला में मौजूदा स्थिति के कारण रिकॉर्ड नहीं लाया जा सका और तदनुसार, कार्यवाही को 01.09.2017 के लिए स्थगित कर दिया गया था।

(10) यह ध्यान देने योग्य है कि उस समय गुरमीत राम रहीम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद से ही प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा हो जाने के कारण पंचकुला में घेराबंदी की गई थी। इसके बाद मामले को 14.09.2017 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और रिट याचिका का पैराग्राफ संख्या 2 में ऊपर चर्चा के अनुसार निर्देश देकर निर्णय किया गया और **सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 18878-2017 सुखबीर सिंह और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य** में पारित निर्णय को दृष्टि में रखकर साक्षात्कार के लिए पदों की संख्या से तीन गुना बुलाने के हिस्से को खारिज करते हुए स्वीकार किया गया।

(11) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राज्य को कभी भी अपना मामला सामने रखने और अपने पक्ष के तथ्यों को पेश करने का अवसर नहीं मिला, इस तथ्य के बावजूद कि एक नीतिगत मुद्दा शामिल था कि क्या उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए महत्वता अंक जोड़ना आवश्यक है। वर्तमान अपील में, समन्वय पीठ द्वारा 19.12.2017 को प्रस्ताव सूचना जारी करते हुए आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी।

(12) आयोग के सचिव द्वारा अब एक शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें यह रुख अपनाया गया है कि लिखित परीक्षा पूरी प्रक्रिया का पहला चरण है, जो उन उम्मीदवारों के लिए खुला था, जिनके पास अनुभव है और आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए कोई कट-ऑफ तय नहीं की गई थी, नियमों/आवश्यक योग्यताओं के अनुसार, जो ऊपर पुनः प्रस्तुत की गई है।आयोग ने पात्रता का पता लगाने के लिए कट-ऑफ अंक तय नहीं किए, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती के लिए विज्ञापित पदों की संख्या और साक्षात्कार के लिए अंतिम शॉर्ट-लिस्टेड उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तय की गई थी, क्योंकि साक्षात्कार के लिए वास्तविक रिक्तियों से दोगुने उमीदवारो को बुलाना था। उद्देश्य यह था कि कुछ उम्मीदवार, जिन्होंने अन्यथा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं हो सकती है क्योंकि उनमें से कुछ

कट-ऑफ तिथि के बाद परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते थे या योग्यता आवश्यक योग्यता के बराबर नहीं थी। यह माना गया कि यदि अनुभव को वरीयता दिया जाता है, तो यह लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ उस व्यक्ति को अनुभव के अनुसार अधिक अंक देने के समान होगा। अतः व्यक्तियों की दो अलग-अलग श्रेणियां होंगी यानी अनुभवी और अनुभवहीन। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर व्यक्ति की भर्ती होने की संभावना संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी और इसलिए, उसी स्तर को बनाए रखने के लिए लिखित परीक्षा की योग्यता का पालन किया जाना था।

(13) शपथ पत्र में आगे कहा गया कि 2426 पदों के मुकाबले 4852 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की आवश्यकता थी। दस्तावेजों की जांच की गई थी और 4788 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। उच्चतम अंक 122 थे और सबसे कम 70 थे और इसलिए, जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, उनमें जिनके पास पूर्व अनुभव था और जिनके पास अनुभव नहीं था, वे दोनों उम्मीदवार शामिल थे। महत्वता अंक 16 होने थे और उसके बाद पूरी योग्यता सूची पर फिर से काम करना होगा और यदि अनुभव का लाभ इस तरह से दिया जाता है, तो उम्मीदवार अनुभव के अंकों के कारण कारण बड़ी मात्रा में योग्यता में उच्च स्थान प्राप्त करेंगे और बड़ी संख्या में अन्य उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे, जो अन्यथा मेधावी थे, लेकिन उनके पास प्रारंभिक स्तर पर प्रासंगिक अनुभव नहीं था। यह प्रदर्शित किया गया कि लिखित परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंकों में से जिन्हें 54 अंक मिले हैं, यदि 16 अंक दिए जाते हैं तो उन्हें 70 अंक प्राप्त करने के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और इसका मतलब होगा कि अधिक मेधावी व्यक्तियों को बाहर रखा जाए और उम्मीदवारों के दो अलग-अलग समूहों के लिए अलग-अलग मापदंड हों।

(14) यह विवादित नहीं है कि जो मापदंड निर्धारित किए गए थे, वे निगमों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसरण में थे, जिसके आधार पर विज्ञापन जारी किया गया था। पात्रता मापदंड दिनांक 28.01.2016 और 29.01.2016 की अधिसूचनाओं द्वारा पहले ही निर्धारित किए गए थे, जो हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 की धारा 56 (3) (vi) के साथ पठित विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 2003 के अनुसरण में थे। उसी में यह प्रावधान था कि साक्षात्कार के अंकों का भारांक कुल अंकों का 12 प्रतिशत होगा और लिखित परीक्षा के अंकों का भारांक कुल अंकों का 80 प्रतिशत होगा। अनुभव का भारांक 8 प्रतिशत तक होना था।

(15) उक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में, मापदंड को 01.05.2016 (अनुलग्नक पी-3) पर अधिसूचित किया गया था, जिसमें इस तरह के विभाजन का प्रावधान किया गया था। रिट याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में बैठे थे जो

इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि आयोग ने अनुभव के लिए 16 अंक दिए थे। इसके बाद, उन्होंने जांच के लिए अपने दस्तावेज जमा किए थे, जो विधिवत किए गए थे और केवल इस तथ्य के कारण कि उन्हें पहली बार में साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था, यह मुद्दा उठाया गया कि साक्षात्कार के लिए अनुभव के अंकों को उम्मीदवार की जांच के प्रयोजन में जोड़ा जाये।

(16) इस न्यायालय की सुविचारित राय में, आयोग को मानदंड तय करने का अधिकार था और उसने विज्ञापन में ही इसे स्पष्ट कर दिया था, जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। केवल इसलिए कि यह रिट याचिकाकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं था, आयोग की ओर से किसी भी दुर्भावना या द्वेष की अनुपस्थिति में, उन्हें इसे चुनौती देने के लिए कार्रवाई का कारण नहीं मिलेगा। एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते यह उसके अधिकार क्षेत्र में था कि कौन सी पद्धति अपनाई जानी चाहिए कि वरीयता का लाभ विशेष रूप से साक्षात्कार के बाद दिया दिया जाये या नहीं।

(17) रिट याचिकाकर्ताओं ने एक मौका लिया और दस्तावेजों की जांच के लिए बुलावा स्वीकार कर लिया, तब तो वे वापस नहीं आए और आरोप लगाया कि उन उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा था, जिनके पास कम अनुभव था। जाहिर तौर पर रिट याचिकाकर्ता ऐसे व्यक्तियों का समूह हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त किए थे, लेकिन वे व्यथित थे और अनुभव में वरीयता के आधार पर विचार के दायरे में आना चाहते थे। मापदंडों पर पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है जिसे सार्वजनिक किया गया था, जिसमे प्रावधान था कि लिखित परीक्षा 160 अंकों की जानी थी। विज्ञापन में साक्षात्कार द्वारा उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग (लघुसूचीयन) के बारे में भी बताया गया था। उम्मीदवार इस प्रकार विज्ञापन की शर्तों से बंधे थे और ***मदन लाल और अन्य*** बनाम ***जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य***[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए कानून को देखते हुए उसी में बैठने के बाद उम्मीदवार इसे चुनौती देने के लिए वापस नहीं आ सकते थे। उक्त दृष्टिकोण का पालन ***के. ए. नागमणि*** बनाम ***इंडियन एयरलाइंस और अन्य***[2] में; ***मनीष कुमार शाही*** बनाम ***बिहार राज्य और अन्य***[3] में; ***मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज और दूसरा*** बनाम ***के. शिवसुब्रमण्यन और अन्य***[4] में; और ***अशोक कुमार और दूसरा*** बनाम ***बिहार राज्य और अन्य***[5] में किया गया था।

---

[1] (1995) 3 एस. सी. सी. 486
[2] (2009) 5 एस. सी. सी. 515
[3] (2010) 12 एस. सी. सी. 576
[4] (2016) 1 एस. सी. सी. 454
[5] (2017) 4 एस. सी. सी. 357

(18) अधिसूचना में मापदंड की न्यूनतम योग्यता भी प्रदान की गई है, जिसके आधार पर मांग जारी की गई थी, जिसमें कुल अंकों में से 80 प्रतिशत की लिखित परीक्षा का भी प्रावधान है और इस प्रकार, 200 अंकों में से 160 अंक लिखित परीक्षा के थे। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अन्य उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए बिना, राज्य से लिखित बयान के माध्यम से प्रतिक्रिया मांगे बिना और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक नीतिगत निर्णय है और चयन का तरीका विशेषज्ञों पर छोड़ देना सबसे अच्छा है, उन्हें विचार के क्षेत्र से बाहर कर दिया।

(19) इस न्यायालय की सुविचारित राय में, यह पहले ही देखा जा चुका है कि मूल क्षेत्राधिकार पर कार्यवाही में प्रतिक्रिया मांगे बिना ही रिट याचिका का फैसला 25 दिनों की अवधि के भीतर कर दिया गया था। नीतिगत मामला होने के कारण, यह आयोग और बड़ी संख्या में उन उम्मीदवारों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा, जिन्हें शामिल भी नहीं किया गया था। यह तय सिद्धांत है कि जो व्यक्ति प्रभावित पक्ष हैं, उन्हें मुकदमे में शामिल किया जाना आवश्यक हैं, क्योंकि उनका हित प्रभावित होता है। रिट याचिकाकर्ताओं को केवल विचार का अधिकार था और कानून के तय किए गए सिद्धांत के अनुसार नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं था। द्वेष या दुर्भावना की अनुपस्थिति में, ऐसे निर्देश पारित करना विद्वान एकल न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, जो चयन प्रक्रिया को परेशान करेगा।

(20) निस्सन्देह, सभी पर एक समान प्रक्रिया लागू की जा रही थी और व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के लिए कोई अलग मापदंड नहीं था और आयोग द्वारा एक मानक प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। ***हरियाणा लोक सेवा आयोग*** बनाम ***अमरजीत सिंह और अन्य***[6] मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि उच्च न्यायालय के लिए उच्च योग्यता और विशेष प्रशिक्षण के लिए अंकों के आवंटन के संबंध में मामले की जांच करना अनुचित होगा। **सी. डब्ल्यू. पी.नंबर 15885-2000,** ***जवाहर लाल गोयल और अन्य*** बनाम ***हरियाणा राज्य और अन्य और अन्य संबंधित मामले*** में निर्णय लेते हुए, समन्वय पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक होती है तब लिखित परीक्षा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट (अल्पसूची) करने की एक विधि है और यह नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है।

(21) ***राज्यसभा सचिवालय और अन्य*** बनाम ***सुभाष बलौदा और अन्य***[7] ***में,*** सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह

---

[6] (1999) एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1451

[7] (2013) 5 एस. सी. सी. 169

न्यायालय के लिए वह स्थानापन्न करने के लिए नहीं जो वह उचित समझता है और यह भी कि जब विशेष एजेंसी द्वारा सभी उम्मीदवारों पर एक ही प्रक्रिया लागू की जा रही थी, तो उम्मीदवार किसी भी पूर्वाग्रह की शिकायत नहीं कर सकते। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

> "28. इस तथ्यात्मक और कानूनी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में सुरक्षा सहायक ग्रेड-II के चयन में अपीलकर्ताओं द्वारा लागू की गई पद्धति में कुछ भी गलत नहीं था। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया था, न ही विज्ञापित आवश्यकताओं से कोई विचलन किया गया था। यह हमेशा कहा जा सकता है कि कोई अन्य तरीका एक बेहतर तरीका होता, लेकिन यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह उस चीज़ को प्रतिस्थापित करे जिसे चयन प्राधिकरण द्वारा वांछनीय निर्णय के लिए उचित माना है। उम्मीदवारों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए, न्यायालय, चयन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेशों में जो प्रस्तावित किया है, वह चयन के नियमों को फिर से लिखने के बराबर है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था।"

(22) इसी तरह, ***रामजीत सिंह करदम और अन्य*** बनाम ***संजीव कुमार और अन्य***[8], सर्वोच्च न्यायालय ने शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों (पी. टी. आई.) की चयन प्रक्रिया पर विचार करते हुए विशेष निर्देशों पर भी विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आयोग को चयन के तरीके को तैयार करने और पदों के चयन के लिए मापदंड तय करने का अधिकार था। एक बार मापदंड निर्धारित करने की शक्ति आयोग में निहित होने के बाद, यदि शक्ति का प्रयोग किया गया है तो रिट याचिकाकर्ताओं को इससे कोई शिकायत नहीं हो सकती है और यह उम्मीदवारों के एक निश्चित समूह को बाहर करने के उद्देश्य से मनमाने ढंग से नहीं किया गया है। जैसा कि देखा गया है, यह रिट याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं था और इसलिए, उनके कहने पर रिट याचिका भी सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि वे विज्ञापन के नियमों और शर्तों से बंधे थे।

(23) राज्य के रुख की पहले ही जांच की जा चुकी है, जिसे अब आयोग के सचिव द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल करके दोहराया गया है। इसमें अनुभव को महत्व देकर प्रदर्शित किया गया है, यदि इसे पहले समय पर विचार किया जाता है तो दिए जाने वाले अंकों के केवल 8 प्रतिशत के कारण यह मेधावी लोगों को विचार के क्षेत्र से बाहर करने के बराबर होगा।

---

[8] 2020 (2) एससीटी 491

ऐसी परिस्थितियों में, यह विशेषज्ञ निकाय और भर्ती एजेंसी का काम था कि वे यह देखें कि क्या वे अनुभव वाले व्यक्तियों को चाहते हैं या वे योग्यता वाले व्यक्तियों को चाहते हैं।

(24) विज्ञापन के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि आयु की पात्रता मापदंड भी 18 वर्ष से 42 वर्ष तक था और इसलिए, अनुभव वाले व्यक्तियों को भी विचार के दायरे में लाया गया था और अनुभव का लाभ दिया जाना था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि यह योग्यता की कीमत पर होगा।इस प्रकार विशेषज्ञ निकाय के दृष्टिकोण को कभी भी ध्यान में नहीं रखा गया, जो इस न्यायालय की राय में तथ्यों और परिस्थितियों में उचित नहीं था।

(25) परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि जिस तरीके से मामले का निर्णय एक नीतिगत मामला होने के नाते किया गया था, वह विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में टिकाऊ नहीं है। परिणामस्वरूप, ऊपर दिए गए कारणों से हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार (रद्द) करने और रिट याचिकाओं को खारिज करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि चयन प्रक्रिया पहले ही काफी समय पहले से पूरी हो चुकी है। तदनुसार, आयोग द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार किया जाता है और दिनांक 14.09.2017 के आदेश को दरकिनार (रद्द) किया जाता है। सभी लंबित नागरिक विविध आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हरविंदर सिंह, अनुवादक, जिला न्यायालय, सोनीपत।